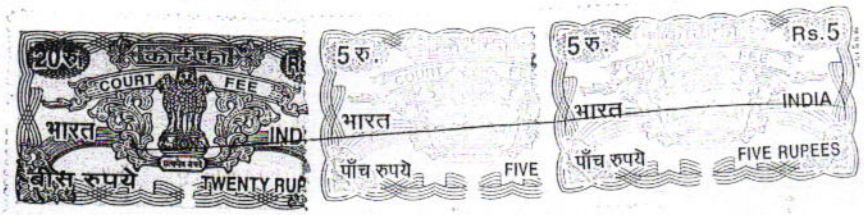

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी क्र. नि0 / 3925 / II-15 सन्

1. विनोद कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल चंदेल (गढ़रिया)
2. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल चंदेल (गढ़रिया)
3. कांतादेवी पुत्री स्व. बाबूलाल चंदेल (गढ़रिया)

नि0 बिलहरी नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0

................निगरानीकर्ता

दिनांक 4-12-15 को श्री [illegible] द्वारा प्रस्तुत
4-12-15
SO

बनाम

1. महेन्द्र कुमार तनय उधोराम चंदेल (गड़रिया)
2. अमित तनय महेन्द्र चंदेल (गड़रिया)

दोनो निवासी ग्वालटोली नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0

3. कैलाश चन्द्र तनय छक्कीलाल राय (कलार)

नि0 94 / 13 सिविल लाईन झांसी तह0 व जिला झांसी उ0प्र0

................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू0रां0सं0 निगरानी विरूद्व आदेश तहसीलदार नौगॉव द्वारा प्र.क्र. 202 / अ 6 / 013–14 में पारित आ0 दि0 28 / 7 / 2015 के विरूद्व।

महोदय,

उक्त निगरानी कर्ता सादर विनय करते है:–

निगरानी का सार संक्षेपतः निम्न प्रकार है कि अन्य पैत्रिक आराजी के साथ मौजा नौगॉव तहसील नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0 स्थित आराजी खं. नं. 2159, 2185, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2197, 2198 शब्दो में इक्कीस सौ उन्सठ, इक्कीस सौ पचासी, इक्कीस सौ सतासी, इक्कीस सौ अठासी, इक्कीस सौ नवासी, इक्कीस सौ नब्बे, इक्कीस सौ इक्यांनवे, इक्कीस सौ बानवे, इक्कीस सौ तेरानवे, इक्कीस सौ चौरानवे, इक्कीस सौ सन्तानवे, इक्कीस सौ अन्ठानवे किता 12 कुल रकवा 5.535 हे0 लगानी 33.25 रू0 पैत्रिक एवं सहदायिक कुटुम्ब की आराजी रही है जिसका कभी भी कोई सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में निगरानीकर्ता गण एंव उनके चाचा स्व0 परमलाल के नाम दर्ज रही थी बंश वृक्ष निम्न प्रकार है।

लक्ष्मण चंदेल (गड़रिया) (मृत)

- बलराम (मृत)
- परमलाल (निःसंतान मृत)
- बाबूलाल (मृत)
  - अपीलार्थीगण

Jain

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -3925/दो/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश विनोदकुमार/महेन्द्र कुमार	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-12-2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विलम्ब माफी के आवेदन के आधार पर विलम्ब माफी का निवेदन करते हुए यह कहा कि प्रकरण निःसंतान मृत परमलाल के पैतृक संपत्ति में हिस्से के बटवारे से संबंधित है। उन्होंने बताया कि परमलाल की मृत्यु के बाद अनावेदक क. 1 महेन्द्र ने स्वयं को परमलाल का दत्तकपुत्र बताते हुए तथा अनावेदक क 2 अमित ने एक वसीयत का संदर्भ लेते हुए मृतक परमलाल की भूमि का निष्पादन अपने हित में करा लिया था जिसका नामांतरण अनावेदक कमांक 3 कैलाश के हित में (अनावेदक अमित के स्थान पर) तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 28.7.15 से बगैर आवेदकगण को पक्षकार बनाए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार का यह आक्षेपित आदेश दिनांक 28.7.15, राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक 752/1/15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.4.15 (जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण कमांक 117/12–13 सहित अधीनस्थ न्यायालयों में पारित आदेश के कियान्वयन को 3 माह के लिए स्थगित किया गया था) के बाद का है। (उन्होंने संबंधित आदेशों की प्रतियां निगरानी मेमो के साथ उपलब्ध करायीं है।) इस आधार पर उन्होंने तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश दि. 15-4-15 की अवहेलना किए जाने का तर्क भी किया। प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्व मण्डल का दिनांक 15.4.15 का स्थगन आदेश दिनांक 14.7.15 तक ही प्रभाशील था एवं तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.7.15 (इस दिनांक 14.7.15	

के) बाद का है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.7.15 जिसके माध्यम से उन्होंने नामांतरण स्वीकृत किया है एक अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान होने के कारण सीधे वरिष्ठ न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी दायर किया जाना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इन बिन्दुओं के प्रकाश में निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

10.12.15

सदस्य